# राजस्थान सरकार
## स्वायत्त शासन विभाग

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–addlblsg@gmail.com

क्रमांक : भूमि/एफ7(ड)( )डीएलबी/2024/7109 दिनांक : 29/10/2024

**अधिसूचना**

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 सपठित धारा 69–क एवं राजस्थान नगरपालिका (अकृषि भूमि का अभ्यार्पण और फ्री होल्ड पट्टा) नियम, 2015 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा 200 रूपये प्रति वर्गमीटर शुल्क निर्धारित करती है। उक्त राशि आवेदन के साथ स्वनिर्धारण से जमा कराई जायेगी।

01. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यार्पण स्वीकार करने के आदेश के पश्चात् आवेदक द्वारा स्वनिर्धारण से जमा की गई राशि कम होने पर 30 दिवस में शेष राशि जमा करवाने हेतु आवेदक को मांग पत्र जारी किया जावेगा। मांग राशि अगले 30 दिवस तक विलम्ब अवधि पर 9 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करवाई जा सकेगी। 60 दिवस में राशि जमा नहीं करवाने पर आवेदक द्वारा स्वनिर्धारण से जमा करवाई गई राशि जब्त कर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
02. प्राधिकृत अधिकारी प्रारूप–6 में भूमि का अभ्यर्पण स्वीकार करते हुये अनुज्ञा का निर्णय करने के पश्चात् पट्टा देने के लिए सक्षम स्तर निम्नानुसार होगा –

| | | |
|---|---|---|
| प्राधिकृत अधिकारी | – | 300 वर्गमीटर तक |
| बोर्ड/मण्डल के अनुमोदन पश्चात् | – | 300 वर्गमीटर से अधिक 1500 वर्गमीटर तक |
| राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् | – | 1500 वर्गमीटर से अधिक |

नोट :– राजकीय कार्यालय के लिए समस्त क्षेत्रफल का निःशुल्क पट्टा जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी सक्षम होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(कुमार पाल गौतम)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : भूमि/एफ.7(ड)( )डीएलबी/2024/7110-7752 दिनांक : 29/10/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
8. शासन उप सचिव – प्रथम/द्वितिय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान/एनसीआर।
11. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।

12. वरिष्ठ सयुंक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग को अधिसूचना के प्रकाशन के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
13. संयुक्त निदेशक, आई.टी. अनुभाग निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. महापौर / सभापति / अध्यक्ष, नगर निगम / परिषद् / पालिका, समस्त राजस्थान।
15. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद् / पालिका, समस्त राजस्थान।
16. सुरक्षित पत्रावली।

(श्याम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त निदेशक